	u;k jk;iqj M0gyieasV vFkkWfjVh ea=ky;] egkunh }kj ds ikl jk;iqj ¼N-x-½ nqjHkk"k 0771&4066011] QSDl& 4066188

foKkiu dzekad&150

¼fufonk lwpuk Ø- 2238@2¼5½&54@lk-@okgu@,u-vkj-Mh-,-@Hkkx&2@12] jk;iqj] fnukad 16-04-2012½

dk;kZy; gsrq VSDlh bf.Mdk ;k led{k okgu dks ekfld fdjk;k fu/kkZj.k gsrq fufonk&i=

fufonk i= dk 'kqYd	₹ 500-00
vekur jkf'k	₹ 50]000-00
fufonk i= fodz; ikjEHk dh frfFk	17-04-2012
fufonk i= tkjh djus dh vfre frfFk	23-04-2012
fufonk tek djus dh vfre frfFk	24-04-2012
rduhdh iLrko [kksyus dh frfFk	24-04-2012
foRrh; iLrko [kksyus dh frfFk&;Fkkle; lwfpr dh tk;sxh	

eSllZ---

irk---

-----------------------dks euh jlhn d0--fnukad---

----

jkf'k ₹500-00 ds vrxZr tkjh fd;k x;kA

u;k jk;i|j M0gyie|V vFkkfjVh

e|=ky; egkunh }kj d| ikl] jk;i|j ¼NRrhlx<½

n|jHkk"k 0771&4066011] QSDl 4066188

Ø-2238@2¼5½&54@lk@,uvkjMh,@12] jk;i|j] fnukad 16@04@2012

foKkiu dzekd&150

okgu VkVk bf.Mdk ;k led{k okgu dk ekfld fdjk;k fu/kkZj.k gsr| fufonk vkea=.k lwpuk

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी (एन.आर.डी.ए.) के कार्यालयीन कार्यो के संपादन हेतु वाहन टाटा इण्डिका या समकक्ष वाहन उपलब्ध कराने के लिए मासिक किराया निर्धारण हेतु पात्र ट्रेव्हल्स एजेंसियों से निर्धारित प्रपत्र में, मुहर बंद लिफाफे में निविदाएँ दिनांक 06.03.2012 के अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदाकार का निविदा–प्रपत्र (तकनीकी प्रस्ताव) प्रपत्र–अ उसी तिथि को अपरान्ह 4.00 बजे खोला जावेगा जबकि वित्तीय प्रस्ताव प्रपत्र–ब को खोले जाने की तिथि की सूचना, पात्र निविदाकारों को पृथक से दी जायेगी। निविदा प्रपत्र कार्य दिवसों में दिनांक 05.03.2012 तक कार्यालयीन समय में नगद ₹500/– जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट www.nayaraipur.com से प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी
रायपुर (छ.ग.)

u;k jk;iqj M0gyiesaV vFkkfjVh

e=ky;] egkunh }kj ds ikl] jk;iqj ¼NRrhlx<½

nqjHkk"k 0771&4066011 QSDl 4066188

Ø- 2238@2¼5½&54@lk@,u-vkj-Mh-,-@12] jk;iqj] fnukad 16@04@2012

foKkiu dzekad&150

okgu VkVk bf.Mdk ;k led{k okgu ds ekfld fdjk;k gsrq fufonk vkea=.k lwpuk

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी (एन.आर.डी.ए.) के कार्यालयीन कार्यो के संपादन हेतु वाहन टाटा इण्डिका या समकक्ष वाहन उपलब्ध कराने के लिए मासिक किराया निर्धारण हेतु पात्र ट्रेव्हल्स एजेंसियों से निर्धारित प्रपत्र में, मुहर बंद लिफाफे में निविदाएँ दिनांक 24.04.2012 के अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदाकार का निविदा–प्रपत्र (तकनीकी प्रस्ताव) प्रपत्र–अ उसी तिथि को अपरान्ह 4.00 बजे खोला जावेगा जबकि वित्तीय प्रस्ताव प्रपत्र–ब को खोले जाने की तिथि की सूचना, पात्र निविदाकारों को पृथक से दी जायेगी। निविदा प्रपत्र कार्य दिवसों में दिनांक 23.04.2012 तक कार्यालयीन समय में नगद ₹500/– जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट www.nayaraipur.com से प्राप्त किया जा सकता है।

fufonkdkj gsrq ik=rk dh 'krsZ bl izdkj gS%&

1. निविदाकार के पास ट्रेवल्स एजेन्सी संचालन हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। (छायाप्रति संलग्न करें)

2. निविदाकार ट्रेवल्स एजेन्सी का विगत तीन वर्षो (वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11) का इस व्यवसाय का औसत वार्षिक टर्न ओवर ₹ 10.00 लाख होना चाहिये। (इसके लिये उक्त वर्षो के सी0ए0 से प्रमाणित अंतिम लेखे अथवा सी0ए0 का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

3. निविदाकार ट्रेवल्स एजेंसी के अपने स्वामित्व की न्यूनतम पांच एयरकण्डीशन्ड वाहन (टाटा इण्डिका या समकक्ष वाहन) होना अनिवार्य है। उक्त वाहन वर्ष 2009 या इसके उपरान्त के मेक/मॉडल होना चाहिये। (निर्धारित प्रारूप में वाहनों का विवरण देवें)

4. निविदाकार ट्रेवल्स एजेंसी को शासकीय/अर्धशासकीय विभाग के पास किराये के वाहन उपलब्ध कराने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। (विवरण एवं दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)

5. निविदाकार को ₹ 50,000.00 (पचास हजार रूपये) की अमानत राशि का बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर के पक्ष में (रायपुर में देय) संलग्न करना अनिवार्य है।

fufonk dh 'kr

1. अमानत राशि ₹50,000/– ''मुख्य कार्यपालन अधिकारी'', नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी के नाम से रायपुर में देय, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ, संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. सफल निविदाकार की अमानत राशि को सुरक्षा निधि के रूप में जमा रखा जावेगा और संविदा की संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के बाद वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।

3. अनुबंधित वाहन (टाटा इण्डिका) या (समकक्ष वाहन) नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर के कार्यालय के आधिपत्य में रहेगा।

4. वाहन की मरम्मत रख–रखाव एवं समस्त अन्य खर्चे (डीजल/पेट्रोल/ऑयल आदि) सेवा प्रदाता द्वारा देय होगा।

5. वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य होगा एवं रोड टैक्स/बीमा/सेवा शुल्क आदि का भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा किया जावेगा। वाहन का रोड टेक्स व बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिए।

6. वाहन चालक का व्यय सेवा प्रदाता द्वारा देय होगा। वाहन चालक अवकाश या अस्वस्थ होने पर सेवा प्रदाता को तत्काल दूसरे अर्हता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करना होगा। यदि विभाग द्वारा वाहन चालक की व्यवस्था की जावेगी तो उसका भुगतान राशि सेवा प्रदाता को देय बिल से काट ली जावेगी एवं समस्त जवाबदारी सेवा प्रदाता की होगी। वाहन चालक डयूटी के समय वर्दी (सफेद) में रहेगा।

7. वाहन खराब होने पर मरम्मत, रख रखाव हेतु सेवा प्रदाता द्वारा वाहन वापस लिये जाने पर तत्काल दूसरी वाहन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि विभाग द्वारा व्यवस्था की जाती है तो व्यय पूर्ति की जवाबदारी सेवा प्रदाता की होगी।

8. वाहन अच्छी कंडिशन के होना अनिवार्य है एवं वाहन की मांग होने पर तुरंत उपलब्ध कराना होगा।

9. किराये पर लिये गये वाहन की शिकायत एवं अच्छी स्थिति में नही पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जायेगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जायेगा।

10. निविदाकार, सेवा–कर प्राप्त करने के लिये, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क विभाग के पास पंजीकृत होना अनिवार्य है।

11. निविदाकार के पास स्वयं के कम से कम पांच वाहन होना अनिवार्य है। जो वर्ष 2009 या उसके बाद के क्रय किया गया हो। इन वाहनों के पंजीयन सम्बन्धी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न किया जावें।

12. न्यूनतम निर्धारित दरों पर वाहन किसी भी एजेंसी से लेने का अधिकार नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर का होगा।

13. वाहन पर पात्रता अनुसार लाल बत्ती/पीली बत्ती/सायरन एवं राष्ट्रीय ध्वज की व्यवस्था वाहन मालिक को करना होगा।

14. वाहन की लाग बुक/लाग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं वाहन के प्रभारी अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा। उक्त लाग बुक/लाग कार्ड की मासिक छायाप्रति देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा।

15. देयक दो प्रतियों में मय लाग बुक/लाग कार्ड की छायाप्रति के साथ माह समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान धनादेश (चैक) द्वारा यथा संभव सात दिवस में किया जायेगा। जिसमें नियमानुसार प्रचलितदर पर आयकर (टीडीएस) की कटौती की जायेगी।

16. वाहन रखने की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर का होगा तथा वाहन अनुबंध को 15 दिवस की सूचना दिया जाकर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा व सेवा प्रदाता द्वारा भी 15 दिन पूर्व सूचना पर अपना वाहन हटाने का विकल्प होगा।

17. शर्तो का उल्लंघन करने पर वाहन को हटा दिया जायेगा एवं वाहन का किराया भी देय नहीं होगा परंतु इसके पूर्व संबंधित को लिखित में कारणों से अवगत कराया जायेगा।

18. वाहन किराये पर लगाने के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने पर अंतिम निपटारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी द्वारा किया जायेगा तथा उनका निर्णय अंतिम एवं दोनो को मान्य होगा।

19. मासिक किराये पर प्राप्त वाहनों के लिये अनुबंध की अवधि एक वर्ष होगी। निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरें (सेवा कर अतिरिक्त) आगामी एक वर्ष हेतु प्रभावशील रहेंगी, जिन्हें आपसी सहमति से अगले एक/दो वर्ष हेतु जारी रखा जा सकेगा।

fufonk iLrqr djus dh fof/k

अ. निविदाकार द्वारा निविदा–प्रपत्र (तकनीकी प्रस्ताव) (प्रपत्र–अ), अभिवचन एवं तकनीकी पात्रता हेतु वांछित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियां तथा अमानत राशि ₹50,000.00 का बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक को लिफाफा क्रमांक–1 में रखा जावे तथा इस लिफाफे के ऊपर fufonk&izi= ¼rduhdh izLrko½ ¼izi=&v½ अंकित किया जावे।

ब. निविदाकार द्वारा निविदा–प्रपत्र (वित्तीय प्रस्ताव) (प्रपत्र–ब) को लिफाफा क्रमांक–2 में रखा जावे। इस लिफाफे में अन्य कोई दस्तावेज/छायाप्रतियां नहीं रखी जावे तथा इस लिफाफे के ऊपर fufonk&izi= ¼foRrh; izLrko½ ¼izi=&c½ अंकित किया जावे।

स. इस प्रकार उपरोक्त दोनों सील–बंद लिफाफा (लिफाफा क्रमांक–1 एवं लिफाफा क्रमांक–2) को एक बड़ी साईज के लिफाफे में रख कर सील–बंद कर, कम्पलीट निविदा प्रस्ताव जमा किया जावे। इस लिफाफे के ऊपर ^^okgu VkVk bf.Mdk ;k led{k okgu dk ekfld fdjk;k gsrq fufonk&izLrko^^ अंकित किया जावे। उक्त तीनों लिफाफों पर निविदाकार का नाम, पता व मोबाईल नम्बर भी अवश्य अंकित किया जावे।

Ekgkizca/kd ¼iz'kklu½

fufonk&i|i= ¼rduhdh iLrko½
¼i|i=&v½

(1) निविदादाता / ठेकेदार फर्म का नाम :– ....

(2) पूरा पता :– ....

कार्यालय / निवास :– ....

....

....

दूरभाष एवं मोबाईल नं. :– ....

स्थाई निवास का पता :– ....

....

....

दूरभाष नं. / ई–मेल :– ....

(3) निविदा–प्रपत्र क्रय का विवरण :– मनी रिसीप्ट क्रमांक.......................दिनांक......................

(4) अमानत राशि जमा करने का विवरण :– बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक क्रमांक ....
दिनांक ...., राशि ₹50,000.00
बैंक व शाखा का नाम..............................

(5) ट्रेव्हल एजेंसी का पंजीयन क्र0 / दिनांकः– ....
(पंजीयन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

(6) विगत 3 वर्षों का वार्षिक टर्न–ओवर :–

foRrh; o"kZ	okf"kZd VuZ&vkoj ¼₹yk[k esa½	fjekdZ
2008–09		
2009–10		
2010–11		
;ksx		
okf"kZd vkSlr		

(चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित अंतिम लेखे अथवा वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।)

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

&¼ 2 ½&

(7) निविदाकार के स्वामित्व के वाहनों का विवरण :–

d0	okgu dk idkj	ekMy@ed&o"kZ	iath;u dekad	fjekdZ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

(वाहनों के पंजीयन प्रमाण–पत्र की छायाप्रतियां संलग्न की जावें)

(8) अनुभव का विवरण :–

Ø-	foHkkx dk uke	vuqcf/kr okgu dk idkj ;k Js.kh	okguksa dh la[;k	vuqcf/kr vof/k	fVIi.kh
1					
2					
3					
4					
5					

(अनुभव की पुष्टि हेतु शासकीय/अर्धशासकीय विभाग से प्राप्त कार्यादेशों की छायाप्रतियां संलग्न करें।)

¼fufonknkrk ds gLrk{kj½

fnukad %

fufonk&ii= ¼foRrh; iLrko½

¼ii=&c½

हमारे द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित निविदाकार की पात्रता की शर्तें एवं निविदा की शर्तें आदि पढ़ ली गईं हैं एवं वे सभी मुझे मान्य हैं। मेरे द्वारा मासिक किराये पर वाहन (टाटा इण्डिका अथवा समकक्ष वाहन) उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नानुसार दरें प्रस्तुत की जा रहीं हैं :–

dekad	okgu dh ekfld jfuax fdykehVj	ekfld fdjk;k ¼₹½	fjekd
1	1000 कि.मी. तक का मासिक किराया		
2	1001 से 1500 कि.मी. तक का मासिक किराया		
3	1501 से 2000 कि.मी. तक का मासिक किराया		
4	2001 से 2500 कि.मी. तक का मासिक किराया		
5	उक्त मासिक सीमा 2500 कि.मी. से अधिक वाहन चलने पर प्रति कि.मी. किराया	दर प्रति किलोमीटर ₹	

उपरोक्त मासिक किराया दरों पर नियमानुसार प्रचलित दर पर सेवा कर की राशि पृथक से देय होगी।

¼fufonknkrk d gLrk{kj½

fnukd %

vfHkopu

अधोहस्ताक्षरकर्ता, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर को वाहन टाटा इण्डिका या समकक्ष वाहन को मासिक किराये पर दिये जाने संबंधी निविदा सूचना के नियम एवं शर्तो के अनुरूप कार्यादेश लेना चाहता है। मैनें निविदा प्रपत्र के समस्त नियम एवं शर्तो को पढ़कर समझ लिया है तथा इसकी समस्त शर्ते मुझे मान्य है। तद्नुसार मैनें अपनी दरें, निविदा–प्रपत्र (वित्तीय प्रस्ताव) प्रपत्र–ब में अंकित कर दिया है।

¼fufonknkrk d¢ gLrk{kj½

दिनांक ....

गवाह :–

1. हस्ताक्षर	....	1. हस्ताक्षर	....
2. नाम	....	2. नाम	....
3. पूरा पता	....	3. पूरा पता	....